जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना बढापुर **दिनांक – 13.02.2024**

थाना बढापुर पुलिस व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा अपमिश्रित शराब बनाये जाने के संभावित स्थानों पर छापेमारी करते हुए शराब बनाने की 07 भट्ठियों की नष्ट किया गया तथा 1790 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद किये गये। 25,000 लीटर लाहन मौके पर किया नष्ट।

कार्यवाही का विवरण –

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध कच्ची शराब के निष्कर्षण, विक्रय, परिवहन आदि करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अवैध कच्ची शराब की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी, नगीना के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 13.02.2024 को थाना बढ़ापुर पुलिस एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध सर्च अभियान चलाकर थाना बढापुर क्षेत्र के जंगल ग्राम मधपुरी, भोगपुर, वीरभानवाला मे संभावित स्थानो पर छापेमारी की गयी तो दो अलग – अलग स्थानो पर रबर ट्यूबों में से 1790 लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण (ड्रम, पाईप, बाल्टी आदि) बरामद किये गये तथा 25,000 लीटर लाहन मौके पर नष्ट किया गया।

प्रथम स्थान पर मौके से 930 लीटर अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद किए गए तथा शराब बनाने की 04 भट्ठियों को मौके पर नष्ट किया गया। अवैध शराब का निष्कर्षण अभियुक्त 1.मंगल सिंह उर्फ मंगी पुत्र पाला सिंह 2.सोनू पुत्र आत्मा सिंह निवासीगण ग्राम भोगपुर थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर द्वारा किया जा रहा था, जो घने जंगलो मौका पाकर फरार हो गये। इस संबध मे थाना बढापुर पर मु0अ0सं0 29/2024 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

द्वितीय स्थान पर मौके से 860 लीटर अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद किये गये तथा शराब बनाने की 03 भट्ठियों को मौके पर ही नष्ट किया गया। अवैध शराब का निष्कर्षण कर रहे अभियुक्त 1.बूटा सिंह पुत्र पाला सिंह निवासीगण ग्राम भोगपुर थाना बढापुर जनपद बिजनौर 2.पहलवान सिंह उर्फ पल्लू पुत्र रणजीत निवासी ग्राम वीरभानवाला थाना बढापुर जनपद बिजनौर द्वारा किया जा रहा था, जो घने जंगलो का फायदा उठाकर मौके से भाग गये। इस संबंध मे थाना बढापुर पर मु0अ0सं0 30/2024 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। फरार अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

बरामदगी –

1790 लीटर अवैध कच्ची शराब
शराब बनाने के उपकरण (ड्रम, एल्यूमिनियम/रबर पाईप, बाल्टी, मग आदि)
मौके पर 25,000 लीटर लाहन व 07 भट्ठी नष्ट

टीम का विवरण –

1.प्रभारी निरीक्षक श्री कोमल सिंह थाना बढापुर जनपद बिजनौर
2.श्री रमाशंकर सिंह, निरीक्षक आबकारी जनपद बिजनौर
3.उ0नि0 श्री मुन्नालाल गौतम थाना बढापुर जनपद बिजनौर
4.उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना बढापुर जनपद-बिजनौर
5.मु0आ0 721 सोनु कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर
6.मु0आ0 656 बिजेन्द्र कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर
7.आरक्षी 2367 आनन्द कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर
8.आरक्षी 2454 अरविंन्द कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर
9.आरक्षी 2593 जितेन्द्र कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर
10.आरक्षी 165 पंकज कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर
11.म0आरक्षी 2613 अंन्जु रानी थाना बढापुर जनपद बिजनौर
12.म0आरक्षी मोनिका आबकारी टीम जनपद बिजनौर
13.आरक्षी अभिषेक आबकारी टीम जनपद बिजनौर
14.आरक्षी विपुल कुमार आबकारी टीम जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर दिनांक – 13.02.2024

थाना कोतवाली शहर पुलिस व सर्विलांस टीम द्वारा हत्या की घटना का अनावरण करते हुए दो अभियुक्तों को घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल चाकू/बेल्ट व मृतक के मोबाइल फोन/कपडे आदि सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

अवगत कराना है कि दिनांक 12.02.2024 को थाना कोतवाली शहर क्षेत्रान्तर्गत नजीबाबाद – बिजनौर मार्ग पर टाटा शोरूम के पास आम के बाग में एक युवक का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तथा शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्यवाही के उपरान्त पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया। मृतक की शिनाख्त बिजेन्द्र (उम्र करीब 21 वर्ष) पुत्र बुद्ध सिंह निवासी ग्राम पैंदा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर के रुप में हुई। सर्विलांस टीम, फील्ड यूनिट एवं डॉग स्कवायड द्वारा घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित किये गये। मृतक के भाई मुनेश कुमार की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 132/24 धारा 302 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में शाहिद पुत्र जफर व आकिब पुत्र नियाजुद्दीन निवासीगण ग्राम पैदा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया।

कार्यवाही –

आज दिनांक 13.02.2024 को थाना कोतवाली शहर पुलिस व सर्विलांस टीम द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाले अभियुक्तगण 1-शाहिद पुत्र जफर व 2-आकिब पुत्र नियाजुद्दीन निवासीगण ग्राम पैदा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त आरीनुमा चाकू व मृतक का मोबाइल फोन व कपडे आदि बरामद किये गये। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 404/201 भादवि की वृद्धि की गयी है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि हमारा दो दिन पूर्व बिजेन्द्र से गुल्ली-डंडा खेलने के दौरान विवाद हुआ था। दिनांक 12.02.2024 को मृतक बिजेन्द्र का शाहिद के पास फोन आया तथा बिजेन्द्र व शाहिद की आपस में गाली-गलौच हुई। अभियुक्त शाहिद व आकिब दोनो बिजेन्द्र के पास आम के बाग में पहुंच गये तथा गाली-गलौच एवं हाथापाई के दौरान अभियुक्त शाहिद व आकिब ने बिजेन्द्र की गर्दन पर आरीनुमा चाकू से वार कर घायल कर दिया तथा बिजेन्द्र की बेल्ट से उसकी गर्दन पर फंदा लगा दिया व मृतक की जेब से मोबाइल फोन निकालकर बाग में फेंक दिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता –

1-शाहिद पुत्र जफर निवासी ग्राम पैदा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

2-आकिब पुत्र नियाजुद्दीन निवासी ग्राम पैदा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

घटना में प्रयुक्त आरीनुमा चाकू

मृतक की बेल्ट, मोबाइल फोन व कपडे आदि

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.श्री नरेशपाल सिंह, निरीक्षक अपराध थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

2.उ0नि0 श्री जयवीर सिंह, प्रभारी सर्विलांस टीम जनपद बिजनौर

3.उ0नि0 श्री मीरहसन, थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

3.उ0नि0 श्री यशदेव शर्मा, थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

4.आरक्षी विशाल चिकारा, सर्विलांस टीम जनपद बिजनौर

5.आरक्षी मोनू, सर्विलांस टीम जनपद बिजनौर

6.आरक्षी विजय, थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना कोतवाली शहर   दिनांक 13.02.2024

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मु0अ0सं0 1018/23 धारा 307/323/324/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 04.10.2023 को वादी श्री पुष्पेन्द्र उर्फ बब्लू पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम धनुवाला थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ने तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1-नीरज उर्फ भोलू पुत्र रामकुमार 2-शिवा पुत्र नरेश 3-विरेश कुमार पुत्र सीताराम निवासीगण ग्राम धनुवाला थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर द्वारा वादी के साथ मारपीट/गाली-गलौच व वादी के सिर पर धारदार हथियार से वार कर गम्भीर रुप से घायल कर दिया। तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 1018/23 धारा 307/323/324/504/506 भादवि बनाम उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली शहर पुलिस मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त विरेश कुमार पुत्र सीताराम निवासी ग्राम धनुवाला थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। स्थानीय पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त नीरज उर्फ भोलू उपरोक्त को पूर्व मे ही गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है। विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

विरेश कुमार पुत्र सीताराम निवासी ग्राम धनुवाला थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री कृष्णपाल सिंह थाना को0शहर जनपद बिजनौर।

2.का0 2041 राजीव थाना को0शहर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना हल्दौर **दिनांक – 13.02.2024**

थाना हल्दौर पुलिस टीम ने दो अभियुक्तों को 45 पाउच अवैध देशी शराब सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही –

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री/परिवहन करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना हल्दौर पुलिस द्वारा अभियुक्त प्रशान्त कुमार पुत्र अनिल कुमार निवासी मौ0 जमनावाला कस्बा व थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को प्लास्टिक के थैले में 20 पाउच फाइटर गोल्ड मार्का देशी शराब सहित गिरफ्तार किया गया । इस सम्बन्ध में थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 47/24 धारा 60(1) आबकारी अधि0 बनाम प्रशान्त उपरोक्त के पंजीकृत किया गया।

2.अभियुक्त हरि सिंह पुत्र शेर सिंह निवासी मौ0 जमनावाला कस्बा व थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को एक प्लास्टिक के थैले में 25 पाउच फाइटर गोल्ड मार्का देशी शराब सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 48/24 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम बनाम हरि सिंह उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

प्रशान्त कुमार पुत्र अनिल कुमार निवासी मौ0 जमनावाला कस्बा व थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

हरि सिंह पुत्र शेर सिंह निवासी मौ0 जमनावाला कस्बा व थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

45 पाउच देशी शराब

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.कां0 2561 निर्दोष कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
2.कां0 1389 ओमवीर सिंह थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
3.हो0गा0 1573 मुन्नू सिंह थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
4.हो0गा0 1568 करन सिंह थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना रेहड **दिनांक – 13.02.2024**

थाना रेहड पुलिस टीम ने अभियुक्त को 20 लीटर अवैध कच्ची शराब व 38 पाउच देशी शराब सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण –

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री/परिवहन करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना रेहड पुलिस द्वारा अभियुक्त शिवम कुमार उर्फ मोनू उर्फ इन्डी पुत्र दिगेन्दर सिंह निवासी ग्राम जाफराबाद थाना रेहड जनपद बिजनौर को थैले मे 38 पाउच देशी शराब व एक जरीकेन में 20 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध मे थाना रेहड पर मु0अ0सं0 21/2024 धारा 60(1) आबकारी अधि0 बनाम शिवम कुमार उर्फ मोनू उर्फ इन्डी उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

शिवम कुमार उर्फ मोनू उर्फ इन्डी पुत्र दिगेन्दर सिंह निवासी ग्राम जाफराबाद थाना रेहड जनपद बिजनौर

बरामदगी –

38 पाउच देशी शराब व एक जरीकेन में 20 लीटर अवैध कच्ची शराब

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री प्रवीन कुमार थाना रेहड जनपद बिजनौर

2.कां0 2513 देव तेवतिया थाना रेहड जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना नगीना देहात **दिनाँक 13.02.2024**

थाना नगीना देहात पुलिस ने अभियुक्त को प्रतिबन्धित नशीली गोलिया एवं कैप्सूल सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध रूप से नशीले पदार्थो की बिक्री आदि में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त रवि कुमार पुत्र ऋषिपाल सिंह निवासी ग्राम हरगनपुर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर को प्रतिबन्धित नशीली 220 गोलियां एवं 360 कैप्सूल सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0 44/2024 धारा 8/21/22 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :–

रवि कुमार पुत्र ऋषिपाल सिंह निवासी ग्राम हरगनपुर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

बरामदगी विवरणः-

प्रतिबन्धित नशीली 220 गोलियां एवं 360 कैप्सूल।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री बब्लू सिंह थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

2.हे0का0 633 रविन्द्र कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

3.का0 20 आशीष धामा थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना स्योहारा **दिनाँक 13.02.2024**

थाना स्योहारा पुलिस ने मु0अ0सं0 474/23 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि में वांछित अभियुक्ता को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 23.08.2023 को वादी उमेश कुमार पुत्र रंजीत सिंह देवरा निवासी फैजपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 474/2023 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि बनाम 1.सुरेश रानी पत्नी ओमप्रकाश, 2.ओमप्रकाश पुत्र कुन्दन सिंह व 3.पंकज कुमार पुत्र ओमप्रकाश समस्त नि0गण ग्राम फैजपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित/वांरटी अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना स्योहारा पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्ता सुरेश रानी पत्नी ओमप्रकाश निवासी ग्राम फैजपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता :–

सुरेश रानी पत्नी ओमप्रकाश निवासी ग्राम फैजपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 श्री दीपक कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

2.का0 2360 राहुल थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

3.म0का0 147 परवीन कुमारी थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना को0 शहर दिनांक – 13.02.2024

थाना को0 शहर पुलिस ने वारन्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार किया।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित/वारन्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना को0 शहर पुलिस द्वारा वारन्टी अभियुक्त गजेन्द्र पुत्र श्यामा निवासी ग्राम हमीदपुर थाना को0 शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

गजेन्द्र पुत्र श्यामा निवासी ग्राम हमीदपुर थाना को0 शहर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री अमित कुमार थाना को0 शहर जनपद बिजनौर।

2. कां0 54 संदीप थाना को0 शहर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना मण्डावली **दिनांक – 13.02.2024**

थाना मण्डावली पुलिस ने वारन्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार किया।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित/वारन्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मण्डावली पुलिस द्वारा वारन्टी अभियुक्त सोनु पुत्र राजपाल सिंह निवासी ग्राम फरजपुर थाना मण्डावली जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सोनु पुत्र राजपाल सिंह निवासी ग्राम फरजपुर थाना मण्डावली जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री लखनलाल सिंह थाना मण्डावली जनपद बिजनौर

2.कां0 56 धर्मेन्द्र कुमार थाना मण्डावली जनपद बिजनौर

3.कां0 1380 इमरान थाना मण्डावली जनपद बिजनौर